ग्रामीण कुटीर उद्योग : बाजार और रोजगार

—शिवानन्द द्विवेदी

ग्रामीण कुटीर उद्योग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके स्थापन के लिए पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती अथवा बेहद कम आवश्यकता होती है जो इसकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार के अत्यंत व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापना करती है। अगर देखा जाए तो इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि खादी के विकास में ही ग्रामीण समाज के स्वालम्बन की संभावना भी निहित है। अब बड़ा सवाल ये है कि खादी के क्षेत्र में कुटीर उद्योग से रोजगार सृजन एवं ग्रामीण समाज में स्वावलम्बन आदि उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किन उपायों पर अमल किया जाना चाहिए एवं इस दिशा में किन-किन स्तरों पर कार्य चल रहे हैं

खादी वस्त्र नही विचार है! यह उक्ति खादी के सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रचलित रही है। इस उक्ति में दो शब्द प्रमुखता से एवं व्यापक अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। ये दो शब्द हैं– वस्त्र एवं विचार। वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन दोनों ही शब्दों की व्यापक सन्दर्भों में व्याख्या की जा सकती है। चूंकि वस्त्र मानव की भौतिक जरूरत है तो वहीं विचार उसकी सामाजिकता का मूल है। उसके विचार ही उसकी सामाजिक पहचान को स्थापित करते हैं। ऐसे में विचार के स्तर पर खादी की अवधारणा समाज में जितनी मजबूती से स्थापित होगी, समाज में स्वदेशी भावना का विकास भी उतनी ही मजबूती से होगा। आज के संदर्भ में खादी का दायरा महज वस्त्र अर्थात तन ढकने वाले एक लिबास तक सीमित है, ऐसा कहना गलत प्रतीत होता है। उपयोग के स्तर पर देखा जाए तो खादी हमारे सामाजिक परिवेश में घरेलू –स्तर की तमाम जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक सम्भावित उद्योग है। मसलन, सूत से निर्मित कपड़ा, फलों से बने पेय उत्पाद, माचिस, चमड़ा उत्पाद, मिट्टी के बर्तन, हस्तकला के नमूने इत्यादि। उपभोग की प्रवृत्ति से इतर अगर उपयोग के स्तर पर खादी का मूल्यांकन करें तो खादी के क्षेत्र में ऐसी तमाम सम्भावनाएं नजर आएंगी जो लघु अर्थात कुटीर उद्योग के रूप में खादी को एक बेहतर विकल्प के तौर पर स्थापित कर सकती हैं। इसमें बाजार की सम्भावना है तो रोजगार की भी भरपूर गुंजाइश है। खादी और ग्रामीण कुटीर उद्योग की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके स्थापन के लिए पूंजी की कोई आवश्यकता नहीं होती अथवा बेहद कम आवश्यकता होती है जो इसकी ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार के अत्यंत व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापना करती है। अगर देखा जाए तो इसके अलावा बड़ी बात ये भी है कि खादी के विकास में ही ग्रामीण समाज के स्वालम्बन की संभावना भी निहित है। अब बड़ा सवाल ये है कि

खादी के क्षेत्र में कुटीर–उद्योग से रोजगार सृजन एवं ग्रामीण समाज में स्वावलम्बन आदि उपर्युक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किन उपायों पर अमल किया जाना चाहिए एवं इस दिशा में किन–किन स्तरों पर कार्य चल रहे हैं ? इस संदर्भ में इस बात पर भी गौर किया जाना जरुरी है कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किन पक्षों पर खास ध्यान दिए जाने की जरूरत है ? मूलत जब बात रोजगार सृजन और उद्योग स्थापन की हो तो सरकार एवं बाजार दोनों का ही दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। खादी के क्षेत्र में कुटीर उद्योगों की बात करते समय सरकार के प्रयासों एवं बाजार की संभावना को चर्चा के केंद्र में लाना ही होगा। चूंकि रोजगार बाजार आश्रित होता है जबकि बाजार की निर्भरता उत्पाद एवं सेवा क्षेत्र पर होती है। वहीं उत्पाद अथवा सेवा क्षेत्र के लिए कौशल का होना पहली जरूरत है। लिहाजा यह कहा जा सकता है कि उत्पादन अथवा सेवा क्षेत्र कौशल पर निर्भर है। अतः व्यावहारिक तौर पर एक बात स्पष्ट है बाजार, उत्पादन और कौशल के बीच परस्पर निर्भरता की स्थिति है। इस दिशा में पहला दायित्व सरकार का आता है कि वो खादी क्षेत्र में ग्रामीण उद्योगों के विस्तार की दिशा में क्या प्रयास कर रही है।

खादी क्षेत्र में सरकार के प्रयास

खादी उद्योग के क्षेत्र में सरकारी स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रयास रहे हैं। सबसे पहला प्रयास इस दिशा में सन् 1956 में हुआ था। खादी एवं ग्रामोद्योग अधिनियम–1956 के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग(केवीआईसी) की स्थापना हुई। ठीक अगले ही वर्ष 1957 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को इस आयोग के तहत ला दिया गया। इस आधार पर कहा जा सकता है कि यह स्वतंत्र भारत का खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में पहला आधिकारिक एवं सरकारी प्रयास था जो आज भी संचालित है। हालांकि समय और जरूरत के अनुरूप सन 1987 एवं 2006 में इसमें संशोधन भी किए जा चुके हैं।

खादी ग्रामोद्योग आयोग के तीन उद्देश्य निर्धारित हैं जिनमें प्रथम उद्देश्य खादी उद्योगों को कुटीर उद्योग के तौर पर स्थापित करके रोजगार के अवसर पैदा करना है। दूसरा उद्देश्य, ऐसे उत्पाद तैयार करवाना जिनके विक्रय के लिए बाजार में संभावनाएं हो और तीसरा उद्देश्य, खादी ग्रामोद्योग के जरिए अधिकाधिक ग्रामीण लोगों को रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। आयोग अपने इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से विभिन्न प्रकार की योजनाओं का प्रशासनिक व आर्थिक रूप से संचालन करता है।

अब चूंकि, भारतीय लोकतंत्र संघीय ढांचे पर आधारित है। लिहाजा इस कुटीर खादी ग्रामोद्योगों के प्रोत्साहन की दिशा में भी केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर योजनाओं, कार्यक्रमों आदि का संचालन होता हैं। केन्द्रीय योजनाओं की बात करें तो इनमें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाणपत्र योजना आदि प्रमुख हैं। 'प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम' का प्रमुख उद्देश्य सभी तरह के ग्रामोद्योगों जिनमें कुटीर खादी ग्रामोद्योग भी आते हैं, के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें स्थापित करवाना है। इसके तहत व्यक्ति को परियोजना की कुल लागत का 10 प्रतिशत पहले स्वयं निवेश करना होता है, इसके बाद शेष 90 प्रतिशत की सहायता ऋण के रूप में भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत चिन्हित बैंकों में से किसी के द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना का प्रमुख रूप से संचालन खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है।

इसके बाद ब्याज अनुवृत्ति पात्रता प्रमाणपत्र योजना की बात करें तो यह समग्र खादी उद्योग के लिए धन का प्रमुख स्रोत है। इसका आरम्भ सन 1988 में तब किया गया जब खादी ग्रामोद्योग के लिए निर्धारित बजट के तहत प्राप्त धन और व्यय के बीच अंतर बढ़ने लगा। इसके तहत बैंक द्वारा व्यक्ति को उसकी कार्यात्मक राशि की पूर्ती हेतु 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की रियायती दर से ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये खादी से सम्बंधित उद्योगों के लिए ही ऋण प्रदान करती है। खादी निर्माण करने वाले व्यक्ति ही इस योजना के तहत ऋण पाने के अधिकारी होते हैं। खादी ग्रामोद्योग से सम्बंधित इन केन्द्रीय योजनाओं के अतिरिक्त राज्य–स्तर पर भी खादी को लेकर तमाम योजनाएं व कार्यक्रम संचालित हैं। इस संदर्भ में देश के दो बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का उल्लेख करें तो इन दोनों राज्यों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा केंद्र सरकार की उपर्युक्त योजनाओं के साथ–साथ राज्य–स्तर पर क्रमशः मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना तथा मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना आदि का भी संचालन किया जा रहा है। इसी तरह से देश के लगभग हर राज्य में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड मौजूद हैं जिसके तहत उस राज्य की खादी ग्रामोद्योग से सम्बंधित योजनाओं का क्रियान्वयन आदि हो रहा है।

उपर्युक्त सरकारी योजनाएं खादी ग्रामोद्योग के स्थापन के लिए ऋण व अनुदान के जरिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर केन्द्रित हैं। पर सिर्फ धन के निवेश से यह ग्रामोद्योग स्थापित हो जाएंगे, यह नहीं कहा जा सकता। दरअसल किसी भी उद्योग के लगने के बाद उसके चलने के लिए दो चीजों की क्रमशः आवश्यकता होती है – पहली, कुशल कारीगरों की और दूसरी, उत्पादित माल के लिए लाभकारी बाजार की। इन दोनों चीजों

की दिशा में सरकार क्या कर रही है और इनमें क्या समस्याएं हैं, यह समझना भी बेहद जरुरी है।

कुटीर ग्रामोद्योग के लिए कौशल प्रशिक्षण

कुटीर खादी ग्रामोद्योग जिसके अंतर्गत कपड़े से लेकर माचिस बनाने तक का काम होता है, के लिए कुशल कामगार तैयार करने की दिशा में भी केंद्र व राज्य स्तर पर कुछ योजनाएं अवश्य संचालित हैं। कौशल प्रशिक्षण से सम्बंधित ऐसी ही कुछ योजनाओं का विवरण निम्नलिखित है–

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) : यह सूक्ष्म एवं मझोले उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसके तहत लघु उद्योगों जिनके अंतर्गत कुटीर खादी ग्रामोद्योग भी आता है, से सबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों से युवाओं को अवगत कराने व इस दिशा में उनके कौशल को उन्नत करने के उद्देश्य से देश भर में उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनका आयोजन प्राय : आईटीआई आदि तकनीकी संस्थानों में किया जाता है, क्योंकि इन संस्थानों के शिक्षकों–छात्रों में नए लोगों को प्रेरित करने वाला उद्यमिता कौशल उपलब्ध होता है।

उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) : इस कार्यक्रम के तहत सूक्ष्म उद्योगों से सम्बद्ध उद्यमियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए व्यापक और वृहद् स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम लगभग 60 विधाओं में प्रशिक्षण कार्य आयोजित करता है।

व्यवसाय कौशल विकास कार्यक्रम (बीएसडीपी) : यह कौशल विकास उन नए सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों के उद्यमियों के लिए है, जिनमें व्यावसायिक समझ का अभाव है। उनमें व्यावसायिक समझ का विकास करने के लिए बिजनेस कौशल विकास नामक पाठ्यक्रम तैयार किया गया है।

इनके अतिरिक्त कौशल विकास से सम्बद्ध और भी कई योजनाएं व कार्यक्रम केंद्र तथा राज्य–स्तर पर संचालित हैं। हालांकि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा अपने अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम स्किल इंडिया का आरम्भ किया गया। लेकिन इसमें खादी ग्रामोद्योग को लेकर सीधे तौर पर कोई विशेष प्रावधान नहीं दिखता, जबकि उचित होता कि कुटीर खादी ग्रामोद्योग को विशेष रूप से स्किल इण्डिया के तहत लाया जाता। खादी ग्रामोद्योग कौशल प्रशिक्षण से सम्बंधित सभी छोटी–बड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों को स्किल इण्डिया के तहत लाया जाता जिससे उन्हें एक राष्ट्रीय स्वरूप मिल पाता। इससे दो फायदे होते–पहला कि लोगों में खादी ग्रामोद्योग के कौशल विकास को लेकर और जागरुकता आती तथा स्किल इण्डिया के तहत आ जाने से इस सम्बन्ध में प्रशासनिक स्तर पर और भी गंभीर ढंग से प्रयास होते।

कुटीर ग्रामोद्योग के लिए बाजार सृजन

कुशल कारीगर तैयार करने तथा उद्योग स्थापन और उत्पादन आरम्भ हो जाने के बाद प्रश्न यह आता है कि उद्यमियों को बाजार कैसा मिल रहा है ? क्योंकि सहज और लाभकारी बाजार की अनुपलब्धता होने की स्थिति में खादी ग्रामोद्योग हो या अन्य कोई भी उद्योग, उसका अधिक समय तक बने रहना मुश्किल है। लिहाजा देखना होगा कि सरकार खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र के लिए बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में क्या कर रही है ? इस दिशा में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग को खादी ग्रामोद्योग के लिए निर्यात प्रोत्साहन परिषद के रूप में मानद् दर्जा दिया गया है। इस रूप में आयोग के कार्य ब्रैंड प्रोत्साहन, उत्पाद विकास, विभागीय बिक्री केंद्रों की सुव्यवस्था, सरकारी आपूर्तियों और निर्यात के क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना है। इसके अतिरक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और क्रय–विक्रय मेलों में सहभागिता के द्वारा निर्यात बाजार को प्रोत्साहन देना तथा खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के जरिए निर्यात बाजार को प्रोत्साहित करना भी आयोग के कार्यों में शामिल है। अब चूंकि ये प्रयास अधिकाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में खादी ग्रामोद्योग उत्पादों की भागीदारी बढ़ाने को लेकर हैं, ये उद्यमियों के लिए एक अप्रत्यक्ष बाजार हो जाता है। लिहाजा सरकार को यह भी चाहिए कि वो खादी ग्रामोद्योग उद्यमियों के आसपास प्रत्यक्ष लाभकारी बाजार के निर्माण की दिशा में कोशिश करे। इससे न केवल इन उद्यमियों को अपने कार्य की सार्थकता व महत्व का अनुभव होगा, वरन अपने उत्पाद के लिए आसपास बाजार होने से उनका उत्साह भी बढ़ेगा जोकि इस खादी ग्रामोद्योग के उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

देश में खादी ग्रामोद्योग क्षेत्र में सरकारी स्तर पर काफी प्रयास हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, मगर बावजूद उन सबके इसकी मौजूदा स्थिति उतनी बेहतर नहीं है, जितनी होनी चाहिए। खादी सिर्फ एक वस्तु या उद्योग साधन नहीं, ये तो भारतीय स्वाधीनता संग्राम की पावन स्मृत्ति तथा भारतीय ग्रामीण संस्कृति की एक अमूल्य धरोहर है। अतः इसकी औद्योगिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अभी केंद्र और राज्यों को ओर प्रयास करने की जरूरत है।

(लेखक स्वतंत्र प्रत्रकार हैं।)
ई–मेल : saharkuvti111@gmail.com